शिकायतकर्ताओं को पैसे लौटाएगा रेरा

राज्य ब्यूरो, पटना : रीयल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े शिकायतकर्ताओं के पैसे लौटाने का काम जल्द शुरू करेगा। पहले चरण में पांच लाख रुपये या 50 फीसद राशि में जो कम होगा, उसका भुगतान किया जाएगा। पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उन शिकायकतकर्ताओं को पहले राशि दी जाएगी, जिन्होंने रेरा में पहले शिकायत दर्ज कराई थी।

पिछले दिनों रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह और सदस्य आरबी सिन्हा की बेंच ने अग्रणी होम्स से जुड़े मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पाया गया कि पूर्व के आदेशानुसार, अग्रणी होम्स से मिली जमीन के बदले रुबन हॉस्पिटल ने रेरा के खाते में सिर्फ एक करोड़ सात लाख चार हजार 258 रुपये ही जमा कराए हैं, जबकि उन्हें 2.95 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था। रेरा ने रुबन हॉस्पिटल को शेष 1.88 करोड़ की राशि जल्द से जल्द जमा करने को कहा है, ताकि उसे भी शिकायतकर्ताओं को लौटाया जा सके। अग्रणी होम्स के निदेशक आलोक कुमार को फिर निर्देश दिया गया है कि वह संपतचक, प्रेमानंदपुर, सोनपुर, वाराणसी, पाटलिपुत्र, योगीपुर, कंकड़बाग और दानापुर के सात-आठ कट्ठे के प्लॉट की खरीद-बिक्री से जुड़े सारे दस्तावेज उपलब्ध कराएं। अभी कुछ ही दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। यह एफिडेविट भी दें कि वह सारी संपत्ति नीलामी या बेचने के लिए सरेंडर कर रहे हैं ताकि उसकी राशि से शिकायतकर्ताओं को पैसे दिए जा सकें। आलोक कुमार को कंकड़बाग की आइओबी शाखा से लिए गए कर्ज को लौटाने और वहां से एनओसी सर्टिफिकेट लेकर पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होनी है।

अग्रणी होम्स मामला

- 1.07 करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं रेरा के खाते में
- 1.88 करोड़ रुपये की राशि अभी और की जानी है जमा

05 लाख या 50 फीसद राशि पहले चरण में लौटाई जाएगी

बिल्डरों से मांगा लेखा-जोखा >> पेज 11

Scanned with CamScanner